न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :– कमर चौधरी
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 44/2023

आईआईएफएल होम फाईनेन्स लिमिटेड रजिस्टर्ड कार्यालय आईआईएफएल हाउस, सन इन्फोटेक पार्क, रोड नं. 16 वी, प्लॉट नं. बी–23, थाणे इण्डस्ट्रीयल एरिया, वागले एस्टेट, थाणे, मुम्बई, महाराष्ट्र एवं क्षेत्रीय कार्यालय 4 जी फ्लोर, विनायक हाईट्स, गौतम मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर राज0 302021 जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री राजेन्द्र पाराशर

...प्रार्थी कंपनी/सिक्योर केडिटर

बनाम

1. मोहम्मद आरिफ पुत्र श्री नामालुम, पता–वार्ड नंबर 32, मौहल्ला नागौरी, छोटी मस्जिद के पास, दौसा जिला दौसा राज0 अन्य पता–ज्वैलरी रील स्टोन, वार्ड नंबर 32, दौसा जिला दौसा राज0 303303

(ऋणी)

2. श्रीमती सीमा बेगम पत्नि मोहम्मद आरिफ, निवासी वार्ड नंबर 32, मौहल्ला नागौरी, छोटी मस्जिद के पास, दौसा जिला दौसा राज0 अन्य पता–ज्वैलरी रील स्टोन, वार्ड नंबर 32, दौसा जिला दौसा राज0 303303

(सह ऋणी)

प्रा0 पत्र अंतर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल एसेटस एण्ड एनफोर्समेंट सिक्योरिटि इन्टरेस्ट एक्ट, 2012

उपस्थित : श्रीमती सुनैना शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश

दिनांक: 23.6.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी आईआईएफएल होम फाईनेन्स लिमिटेड द्वारा ऋणी/सह ऋणी को रूपये 2,19,185/– (रूपये दो लाख उन्नीस हजार एक सौ पिच्यासी मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी/सह ऋणी को बैंक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने एवं समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest act.2002 की धारा 14 के तहत पेश किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:57:15 IST
Reason: SelfAttested

.....निरंतर 2 पर

जिला कलक्टर, दौसा

प्रार्थना पत्र सं0 44/2023

अधिवक्ता प्रार्थी आईआईएफएल होम फाईनेन्स लिमिटेड को सुना गया। हमने प्रार्थी आईआईएफएल होम फाईनेन्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी आईआईएफएल होम फाईनेन्स लिमिटेड को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही कर उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणीगण को रजिस्टर्ड नोटिस एवं समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित किये जाने के बावजूद ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के अनुसार बंधक रखी गई सम्पत्ति के समस्त अंश व खंड वार्ड नंबर 32, कुल एरिया 952 वर्गफीट एवं कारपेट एरिया 750 वर्गफीट मौहल्ला नागौरी, छोटी मस्जिद के पास दौसा जिला दौसा राज0 में स्थित है जो कि श्री मोहम्मद आरिफ एवं श्रीमती सीमा बेगम के नाम से है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी आईआईएफएल होम फाईनेन्स लिमिटेड को किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 23 जून, 2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:57:15 IST
Reason: SelfAttested